

Diesel-Based Power Projects in Kerala

812. SHRI JOY NADUKKARA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the diesel-based power projects under construction in Kerala; and

(b) whether there is any ban on new diesel-based power projects; if so, how it will affect the existing units in Kerala, the units under construction and the proposed units to be constructed in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHIMANBHAI PATEL): (a) The Brahmapuram diesel generating power project (5×20 MW) is under construction.

(b) There is no ban on the installation of new diesel-based power projects.

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंक ऋण

813. श्री रामजी लाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान करने संबंधी मानदण्ड क्या है;

(ख) सरकार द्वारा ऋण कितनी समयावधि में दे दिए जाते हैं;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान अब तक कितने व्यक्तियों द्वारा ऋण के लिए आवेदन किया गया और इन आवेदकों में से कितने व्यक्तियों को ऋण समय पर मिला;

(घ) बाकी आवेदकों को ऋण न मिलने के क्या कारण थे और सरकार द्वारा उन्हें समय पर ऋण रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार इन योजनाओं में सुधार लाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल): (क) बैंक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), शहरी व्यक्ति उद्यम योजना (एल यू एम ई), प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी-एम

आर वाई), स्कॉलरशिपों की मुक्ति एवं पुनरुद्धार योजना (एस एल आर एस) और विभेदी ब्याज दर योजना (डी आर आई) जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण मंजूर करते हैं। इन सभी योजनाओं के लिए पात्रता के मानदंड विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिये)।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम देने के मार्गनिर्देशों के अनुसार 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा के सभी आवेदन एक पखवाड़े के अन्दर और 25,000/- रुपए से अधिक की ऋण सीमा के आवेदन 8 से 9 सप्ताह के अन्दर निपटा दिए जाने चाहिए।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1994-95 के लिए आई आर डी पी, एस यू एम ई, पी एस आर वाई, एस एल आर एस जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदनों की संख्या नीचे दी गई है:—

योजना का नाम	आवेदनों की संख्या	
	प्राप्त	स्वीकृत
आई आर डी पी	उपलब्ध नहीं	2,18,200*
एस यू एम ई	2,63,009	1,43,619
पी एम आर वाई	3,96,106	1,80,093
एस एल आर एस	49,936	30,465

*आई आर डी पी आंकड़े सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों से संबंधित हैं। आंकड़े: अनन्तितम।

बैंक उन ऋण आवेदनों को मंजूर करते हैं, जो अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार अर्थक्षम बैंक योग्य एवं पात्र होते हैं। बैंक मंजूरी-पूर्व मूल्यांकन और संवीक्षा के बाद केवल उन मामलों को अस्वीकृत करते हैं, जो पात्रता की शर्तों और परियोजनाओं/प्रस्तावों की आर्थिक सक्षमता/बैंक योग्यता को पूरा नहीं करते। बैंकों की आंकड़ा सूचना प्रणाली से समय पर ऋण प्राप्त करने वाले ऋण आवेदकों की संख्या के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होती।

(ङ) और (च) सभी योजनाओं के अंतर्गत बैंकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और जिला स्तरीय समन्वय समिति तथा राज्य स्तरीय